

कार्यालय नगर पालिका परिषद रायसेन, म.प्र.



E-mail ID :- cmoraisen@mpurban.gov.in

पता :- इंदिरा मार्केट सांची रोड रायसेन पिन- 464551 दूरभाष क्रं. 07482-222057

रायसेन दिनांक 04/05/26

क्र० /NP/2026/ 314

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत राक्षम क्षेत्रों के पंजीयक कृत ठेकेदार/फर्म से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 08/09/2025 से प्रभावशील प्रचलित आईएसएसआर "Road Works" के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (₹0 में)	धरोहर राशि (₹, में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	कार्यावधि	निविदा क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8
2026 UAD 505426 I	वार्ड क्र. 13 में श्री नारायण सिंह से श्री वीर सिंह बैरागी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	6,09,648/-	6,100/-	2,000.00	New PWD Reg	03 माह	1 nd Call

शर्तें—(1) निविदा प्रपत्र का मूल्य वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर भुगतान करने के उपरांत निविदा (टेंडर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे।

- (2) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 07/05/26 से 27/05/26 सायं 5:30 बजे तक है।
- (3) ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/05/26 सायं 5:30 बजे तक है।
- (4) अमानत राशि, सहित समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाईन ही मान्य की जाएंगे। निविदा दिनांक 26/05/26 को 12:30 बजे से खोली जावेगी।
- (5) टेण्डर फार्म—ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा —
(अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार
(स) लो0नि0वि0 (PWD) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं.
- (6) शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (7) टेण्डर फार्म में अमानत राशि के साथ अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
- (8) निविदा के समस्त अधिकार नगर पालिका परिषद रायसेन के पास सुरक्षित होंगे।
- (9) निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (10) निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत् समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
- (11) निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
- (12) निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
- (13) अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या कार्यालय नगर पालिका परिषद रायसेन में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

नोट/अन्य शर्तें — (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद रायसेन